रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 339] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 1975/आश्विन 4, 1897

No. 389] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 1975/ASVINA 4, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 26th September 1975

S.O. 543(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the 1st day of October, 1975.

2. In rule 112 of the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules),—

(a) for sub-rules (2) and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(2) (a) The authorisation under sub-section (1) of section 132 (other than an authorisation under the proviso thereto) by the Director of Inspection or the Commissioner or any such Deputy Director of Inspection or Inspecting Assistant Commissioner as is empowered by the Board in this behalf shall be in Form No. 45;

(b) the authorisation under the proviso to sub-section (1) of section 132 by a Commissioner shall be in Form No. 45A;

(c) the authorisation under sub-section (1A) of section 132 by a Commissioner shall be in Form No. 45B.

(2A) Every authorisation referred to in sub-rule (2) shall be in writing under the signature of the officer issuing the authorisation and shall bear his seal.

(3) Any person in charge of or in any building, place, vessel, vehicle or aircraft authorised to be searched shall, on demand by the officer authorised to exercise the powers of search and seizure under section 132 thereinafter referred to as the authorised officer) and on production of the authority, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein.";

(b) Sub-rule (4A) and sub-rule (4B) shall, respectively, be re-numbered as sub-rule (4B) and sub-rule (4C) and before sub-rule (4B) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4A) If ingress into any vessel, vehicle or aircraft authorised to be searched cannot be obtained because such vessel, vehicle or aircraft is moving or for any other reason, it shall be lawful for the authorised officer with such assistance of police officers or of officers of the Central Government, or of both, as may be required, to stop any such vessel or vehicle or, in the case of an aircraft, compel it to stop or land, and search any part of the vessel, vehicle or aircraft; and in order to effect an entrance into such vessel, vehicle or aircraft, to break open any outer or inner door or window of any such vessel, vehicle or aircraft, whether that of the person to be searched or of any other person, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance:

Provided that if any such vessel, vehicle or aircraft is occupied by a woman, who according to custom does not appear in public, the authorised officer shall, before entering such vessel, vehicle or aircraft, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing.";

(c) in sub-rule (4B) as so re-numbered, for the words "building or place", the words "building, place, vessel, vehicle or aircraft" shall be substituted;

(d) for sub-rules (5) and (6), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(5) any person referred to in clause (iia) of sub-section (1) of section 132 may be searched by the authorised officer with such assistance as he may consider necessary. If such person is a woman, the search shall be made by another woman with a strict regard to decency.

(6) before making a search, the authorised officer shall,—

(a) where a building or place is to be searched, call upon two or more respectable inhabitants of the locality in which the building or place to be searched is situate, and

(b) where a vessel, vehicle or aircraft is to be searched, call upon any two or more respectable persons, to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do.";

(e) for sub-rules (8) and (9), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(8) The occupant of the building, place, vessel, vehicle or aircraft searched, including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft, or some person on his behalf, shall be permitted to attend during the search and a copy of the list prepared under sub-rule (7) shall be delivered to such occupant or person. A copy thereof shall be forwarded to the Commissioner and, where the authorisation has been issued by any officer other than the Commissioner, also to that officer.

(9) Where any person is searched under clause (iia) of sub-section (1) of section 132, a list of all things taken possession of shall be prepared and a copy thereof shall be delivered to such person. A copy thereof shall be forwarded to the Commissioner and, where the authorisation has been issued by any officer other than the Commissioner, also to that officer.";

(f) in sub-rule (10),—

(i) for the words "the occupant of the building or place searched", the words "the occupant of the building, place, vessel, vehicle or aircraft, including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft, searched" shall be substituted;

(ii) for the words, brackets and figure "and also to the Director of Inspection where the authorisation under sub-rule (2) has been issued by him", the words "and where the authorisation has been issued by any officer other than the Commissioner, also to that officer" shall be substituted;

(g) for sub-rule (14), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(14) The Income-tax Officer to whome the books of account or other documents or assets have been handed over under sub-section (9A) of section 132 shall have all the powers conferred on the authorised officer under sub-rules (11) and (13).".

3. In rule 112A of the principal rules, in sub-rule (1), for the words "shall within fifteen days of the seizure", the words, brackets, figures and letter "shall, within fifteen days of the seizure, and in a case where the assets are handed over to him by the authorised officer under sub-section (9A) of section 132, within fifteen days from the date on which such assets are handed over to him," shall be substituted.

4. In rule 112C of the principal rules, for the word, figures and letter "section 132A", the word, figures and letter "section 132B" shall be substituted.

5. After rule 112C of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"112D. *Requisition of books of account, etc.*—(1) The authorisation under sub-section (1) of section 132A by the Director of Inspection or the Commissioner shall be in Form No. 45C, shall be in writing under the signature of the officer issuing the authorisation and shall bear his seal.

(2) The officer authorised to make a requisition under sub-section (1) of section 132A (hereinafter referred to as the requisitioning officer) shall make the requisition in writing to the officer or authority referred to in clause (a) or clause (b) or, as the case may be, clause (c) of the said sub-section (hereinafter referred to as the delivering officer or authority) calling upon the delivering officer or authority to deliver the books of account, other documents or assets specified in the requisition to him. The requisition shall be accompanied by a copy of the authorisation in Form No. 45C. A copy of the requisition, along with a copy of the authorisation in Form No. 45C, shall be forwarded to the person referred to in clause (a) or clause (b) or, as the case may be, clause (c) of sub-section (1) of section 132A.

(3) The delivering officer or authority shall prepare a list of the books of account or other documents delivered to the requisitioning officer. Before effecting delivery of any bullion, jewellery or other valuable article or thing, the delivering officer or authority shall place or cause to be placed such bullion, jewellery, article or thing in a package or packages which shall be listed with details of such bullion, jewellery, article or thing placed therein. Every such package shall bear an identification mark and seal of the requisitioning officer or of any other income-tax authority not below the rank of Income-tax Officer on behalf of the requisitioning officer, and also of the delivering officer or authority. The person referred to in clause (a) or clause (b) or, as the case may be, clause (c) of sub-section (1) of section 132A or any other person on his behalf shall also be permitted to place his seal on the said package or packages. A copy of the list prepared shall be delivered to such person and a copy thereof shall also be forwarded by the delivering officer to the Commissioner and also to the Director of Inspection where the authorisation under sub-rule (1) has been issued by him.

(4) The provisions of sub-rules (11) to (14) (both inclusive) of rule 112 and of rule 112A, rule 112B and rule 112C shall, so far may be, apply as if the books of account, other documents and assets delivered to the requisitioning officer under section 132A had been seized under sub-section (1) of section 132 by the requisitioning officer from the custody of the person referred to in clause (a) or clause (b) or, as the case may be, clause (c)

of sub-section (1) of the said section and as if for the words "the authorised officer" occurring in any of the aforesaid sub-rules and rules, the word "the requisitioning officer" were substituted.".

6. In Appendix II to the principal rules,—

(a) in Form No. 35,—

(i) for the item "G.I.R. No.", the item "Permanent Account Number" shall be substituted;

(ii) after the item "In any other case, the date of service of the intimation of the order appealed against", the following item shall be inserted, namely:—

"Where the appeal relates to an assessment under section 144 and an application has been made under section 146,—

(a) the date of application.

(b) where an order has been passed on the application, the date of service of such order on the appellant.

";

(iii) after the item, "Section and clause of the Income-tax Act, 1961 under which the appeal is preferred", the following items shall be inserted, namely:—

"Where a return has been filed by the appellant for the assessment year in connection with which the appeal is preferred, whether tax due on the income returned has been paid in full. (If the answer is in the affirmative, give details of date of payment and amount paid.)

Where no return has been filed by the appellant for the assessment year in connection with which the appeal is preferred, whether an amount equal to the amount of advance tax payable by him during the financial year immediately preceding such assessment year has been paid. (If the answer is in the affirmative, give details of date of payment and amount paid.)

";

(b) in Form No. 45,—

(i) for the words "which has not been disclosed", the words "which has not been, or would not be, disclosed" shall be substituted;

(ii) for the words and brackets "found at..... (specify particulars of the building or place)", the words and brackets "found in.....(specify particulars of the building/place/vessel/vehicle/aircraft)" shall be substituted;

(iii) in item (a), for the words "to enter and search the said premises", the words "to enter and search the said building/place/vessel/vehicle/aircraft" shall be substituted;

(iv) items (b), (c), (d), (e), (f) and (g) shall respectively be re-lettered as items (c), (d), (e), (f), (g) and (h) and before item (c) as so re-lettered, the following item shall be inserted, namely:—

"(b) to search any person who has got out of, or is about to get into, or is in the building/place/vessel/vehicle/aircraft if you have reason to suspect that such person has secreted about his person any such books of account, other documents, money, bullion, jewellery; or other valuable article or thing;";

(v) at the end of the Form, for the words "Director of Inspection", the following shall be substituted, namely:—

Commissioner of Income-tax

"Director of Inspection

Commissioner of Income-tax

Deputy Director of Inspection

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.":

(c) After Form No. 45, the following Forms shall be inserted, namely:—

"FORM NO. 45A

[*See* rule 112(2)(b)]

Warrant of authorisation under the proviso to sub-section (1) *of section* 132 *of the Income-tax Act,* 1961

To

The Deputy Director of Inspection,
The Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
The Assistant Director of Inspection,
The Income-tax Officer,

Whereas information has been laid before me and on the consideration thereof, I have reason to believe that—

a summons under sub-section (1) of section 37 of the Indian Income-tax Act, 1922, or under sub-section (1) of section 131 of the Income-tax Act, 1961, or a notice under sub-section (4) of section 22 of the Indian Income-tax Act, 1922, or under sub-section (1) of section 142 of the Income-tax Act, 1961, was issued by the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax/Income-tax Officer.....to..... (name of the person) on.....(date) to produce, or cause to be produced, books of account or other documents specified in the relevant summons or notice and he has omitted or failed to produce or cause to be produced, such books of account or other documents as required by such summons or notice;

a summons under sub-section (1) of section 37 of the Indian Income-tax Act, 1922, or under sub-section (1) of section 131 of the Income-tax Act, 1961, or a notice under sub-section (4) of section 22 of the Indian Income-tax Act, 1922, or under sub-section (1) of section 142 of the Income-tax Act, 1961, has been issued by the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax/the Income-tax Officer.....to..... (name of the person) on.....(date) to produce, or cause to be produced, books of account or other documents specified in the relevant summons or notice and he will not produce or cause to be produced, such books of account or other documents as required by such summons or notice;

if a summons under sub-section (1) of section 37 of the Indian Income-tax Act, 1922, or under sub-section (1) of section 131 of the Income-tax Act, 1961, or a notice under sub-section (4) of section 22 of the Indian Income-tax Act, 1922, or under sub-section (1) of section 142 of the Income-tax Act, 1961, is issued to.....(name of the person) to produce, or cause to be produced, books of account or other documents which will be useful for, or relevant to, proceedings under the Indian Income-tax Act, 1922, or under the Income-tax Act, 1961, he would not produce, or cause to be produced, such books of account or other documents as required by such summons or notice;

Sarvashri/Shri/Shrimati.....are/is in possession of any money, bullion, jewellery or other valuable article or thing and such money, bullion, jewellery or other valuable article or thing represents either wholly or partly income or property which has not been or would not be disclosed for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922, or the Income-tax Act, 1961;

And whereas I have reason to suspect that such books of account, other document, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing have been kept and are to be found in.....(specify particulars of the building, place, vessel, vehicle or aircraft), which is within the area of my jurisdiction;

And whereas I have reason to believe that any delay in getting an authorisation under sub-section (1) of section 132 from the Commissioner having jurisdiction over Sarvashri/Shri/Shrimati.....may be prejudicial to the interests of the revenue;

This is to authorise and require you.....(name of the Deputy Director of Inspection or of the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax or of the Assistant Director of Inspection or the Income-tax Officer)—

(a) to enter and search the said building, place, vessel, vehicle or aircraft;

(b) to search any person who has got out of, or is about to get into, or is in, the building/place/vessel/vehicle/aircraft, if you have reason to suspect that

such person has secreted about his person any such books of account, other documents, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing;

(c) to place Identification marks on such books of account and documents as may be found in the course of the search and as you may consider relevant to or useful for the proceedings aforesaid and to make a list thereof together with particulars of the identification marks;

(d) to examine such books of account and documents and make, or cause to be made, copies or extracts from such books of account and documents;

(e) to seize any such books of accounts, documents, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing found as a result of such search and take possession thereof;

(f) to make a note or an inventory of any such money, bullion, jewellery or other valuable article or thing;

(g) to convey such books of account, documents, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing to the office of the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax or any other authority not below the rank of the Income-tax Officer employed in the execution of the Income-tax Act, 1961; and

(h) to exercise all other powers and perform all other functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961, and the rules relating thereto.

You may requisition the services of any police officer or any officer of the Central Government, or of both, to assist you for all or any of the purposes specified in sub-section (1) of section 132 of the Income-tax Act, 1961.

(Seal) Commissioner of Income-tax.

FORM NO. 45B

[*See* rule 112(2)(c)]

Warrant of authorisation under sub-section (1A) *of section* 132 *of the Income-tax Act,* 1961

To

The Deputy Director of Inspection,

The Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

The Assistant Director of Inspection,

The Income-tax Officer.

Whereas information has been laid before me and on the consideration thereof, I have reason to suspect that the books of account, other documents, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing in respect of which.....(name and designation of authorised officer) has been authorised by the Director of Inspection/Commissioner of Income-tax/Deputy Director of Inspection/Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax..... to take action under clauses (i) to (v) of sub-section (1) of section 132 are or is kept in..... (specify particulars of the building/place/vessel/vehicle or aircraft).

And whereas the building/place/vessel/vehicle/aircraft specified above has/have not been mentioned in the authorisation under sub-section (1) of section 132 by the Director of Inspection/Commissioner of Income-tax/Deputy Director of Inspection/Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.

This is to authorise and require you.....(name of the Deputy Director of Inspection or the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax or the Assistant Director of Inspection or the Income-tax Officer)—

(a) to enter and search the said building/place/vessel/vehicle or aircraft;

(b) to search any person who has got out of, or is about to get into, or is in, the building|place|vessel|vehicle|aircraft, if you have reason to suspect that such person has secreted about his person any such books of account, other documents, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing;

(c) to place identification marks on such books of account and documents as may be found in the course of search and as you may consider relevant to or useful for proceedings under the Indian Income-tax Act 1922 or under the Income-tax Act, 1961 and to make a list thereof together with particulars of the identification marks;

(d) to examine such books of account and documents and make, or cause to be made, copies or extracts from such books of account and documents;

(e) to seize any such books of account, documents, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing found as a result of such search and take possession thereof;

(f) to make a note or an inventory of any such money, bullion, jewellery or other valuable article or thing;

(g) to convey such books of account, documents, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing to the office of the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax or any other authority not below the rank of the Income-tax Officer employed in the execution of the Income-tax Act, 1961; and

(h) to exercise all other powers and perform all other functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961, and the rules relating thereto.

You may requisition the services of any police officer or any officer of the Central Government, or of both, to assist you for all or any of the purposes specified in sub-section (1) of section 132 of the Income-tax Act, 1961.

(Seal)

Commissioner of Income-tax.

FORM NO. 45C

[*See* rule 112D(1)]

Warrant of authorisation under sub-section (1) *of section* 132*A of the Income-tax Act*, 1961

To

The Deputy Director of Inspection,

The Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

The Assistant Director of Inspection,

The Income-tax Officer,

.....

Whereas information has been laid before me and on the consideration thereof, I have reason to believe that—

a summons under sub-section (1) of section 37 of the Indian Income-tax Act, 1922, or under sub-section (1) of section 131 of the Income-tax Act, 1961, or a notice under sub-section (4) of section 22 of the Indian Income-tax Act, 1922, or under sub-section (1) of section 142 of the Income-tax Act, 1961, was issued by the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax/Income-tax Officer.....to..... (name of the person) to produce, or cause to be produced, books of account or other documents specified in the relevant summons or notice and he has omitted or failed to produce or cause to be produced, such books of account or other documents as required by such summons or notice, and the said books of account or other documents have been taken into custody by.....(name and designation of the officer or authority);

certain books of account or other documents which will be useful for, or relevant to, proceedings under the Indian Income-tax Act, 1922, or under the Income-tax Act, 1961 have been taken into custody by.....(name and designation of officer or authority) and Sarvashri/Shri/Shrimati..... (name of person) to whom a summon under sub-section (1) of section 37 of the Indian Income-tax Act, 1922, or under sub-section (1) of section 131 of the Income-tax Act, 1961, or a notice under sub-section (4) of section 22 of the Indian Income-tax Act, 1922, or under sub-section (1) of section 131 of the Income-tax Act, 1961, or a notice under sub-section (4) of section 22 of the Indian Income-tax Act, 1922, or under sub-section (1) of section 142 of the Income-tax Act, 1961 has been or might be issued by the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax/Income-tax Officer..... will not, or would not, produce or cause to be produced, such books of account or other documents on their return by the said officer/authority;

the assets taken into custody by.....(name and designation of the officer or authority/represent either wholly or partly income or property which has not been, or would not have been, disclosed for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 or the Income-tax Act, 1961 by.....(name of the person) from whose possession or control such assets have been taken into custody by the officer/authority aforesaid;

This is to authorise you.....(name of the Deputy Director of Inspection or the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax or the Assistant Director of Inspection or the Income-tax Officer) to require the said officer or authority to deliver to you the books of account, other documents or assets as aforesaid.

(Seal)

Director of Inspection

Commissioner of Income-tax".

[No. 1102/F. No. 142(44)/75-TPL]

O. P. BHARDWAJ,

Secy., Central Board of Direct Taxes.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1975

का० आ० 543(अ).—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम आय-कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1975 है ।

(2) ये 1 अक्टूबर, 1975 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 112 में,—

(क) उप-नियम (2) और (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(2) (क) निरीक्षण निदेशक या आयुक्त या ऐसे निरीक्षण उप-निदेशक या सहायक आयुक्त (निरीक्षण) द्वारा जिसे बोर्ड इस निमित्त प्राधिकृत करे, धारा 132 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकार (उसके परन्तुक के अधीन प्राधिकार से भिन्न) प्ररूप सं० 45 में होगा ;

(ख) आयुक्त द्वारा धारा 132 की उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन प्राधिकार प्ररूप सं० 45 क में होगा ;

(ग) आयुक्त द्वारा धारा 132 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकार प्ररूप सं० 45 ख में होगा ।

(2क) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकार लिखित रूप में होगा और वह प्राधिकार जारी करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा उसकी मुद्रा भी उस पर लगाई जाएगी ।

(3) किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान, जिसकी तलाशी प्राधिकृत की गई हो, का भारसाधक या उसमें का कोई भी व्यक्ति, धारा 132 के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) अपेक्षा किए जाने पर और प्राधिकार के प्रस्तुत किए जाने पर, उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और उसकी तलाशी के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा।" ;

(ख) उप-नियम (4क) और उप-नियम (4ख) को क्रमशः (4ख) और (4ग) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-नियम (4ख) से पूर्व निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4क) यदि किसी ऐसे जलयान, यान या वायुयान में जिसकी तलाशी प्राधिकृत की गई हो, इस कारण से कि ऐसा जलयान, यान या वायुयान गतिमान है या किसी अन्य कारण से, प्रवेश नहीं किया जा सकता है, तो प्राधिकृत अधिकारी के लिए, यदि उसके प्राधिकार और प्रवेश के प्रयोजन और मांग के सम्यक् रूप से अधिसूचित किए जाने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश नहीं कर सकता है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह, पुलिस अधिकारियों या केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों या दोनों की ऐसी सहायता से, जो अपेक्षित हो, ऐसे किसी जलयान या यान को रोक ले या, किसी वायुयान की दशा में, से रुकने या भूमि पर उतरने के लिए बाध्य कर दे, और उस जलयान, यान या वायुयान के किसी भाग की तलाशी ले; और ऐसे जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश कर सकने के लिए ऐसे किसी जलयान, यान या वायुयान का बाहरी या भीतरी दरवाजा या खिड़की तोड़ ले, चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसकी तलाशी लेनी है या किसी अन्य व्यक्ति का हो :

परन्तु यदि ऐसा कोई जलयान, यान या वायुयान ऐसी स्त्री के अधिभोगाधीन है, जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है, तो प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश करने से पूर्व, ऐसी स्त्री को सूचना देगा कि उसे वहां से हटने की स्वतंत्रता है और वह उसे वहां से हटने के लिए हर युक्तियुक्त सुविधा प्रदान करेगा।";

(ग) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-नियम (4ख) में, "भवन या स्थान" शब्दों के स्थान पर, "भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उप-नियम (5) और (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(5) प्राधिकृत अधिकारी धारा 132 की उप-धारा (1) के खण्ड (iiक) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की तलाशी ऐसी सहायता लेकर कर सकता है जो वह आवश्यक समझे। यदि ऐसा व्यक्ति स्त्री है, तो तलाशी किसी अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी और ऐसा करते समय शिष्टता का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

(6) तलाशी लेने से पूर्व प्राधिकृत प्राधिकारी,—

(क) जहां किसी भवन या स्थान की तलाशी ली जानी है, उस स्थल के, जिसमें तलाशी लिया जाने वाला भवन या स्थान स्थित है, दो या दो से अधिक प्रतिष्ठित निवासियों को ; और

(ख) जहां किसी जलयान, यान या वायुयान की तलाशी ली जानी है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों को,

तलाशी के समय हाजिर रहने और उसका साक्षी रहने के लिए बुलवाएगा तथा उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित रूप में आदेश जारी कर सकेगा ।" ;

(ङ) उप-नियम (8) और (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(8) तलाशी लिए गए भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान के अधिभोगी को, जिसमें ऐसे जलयान, यान या वायुयान का भारसाधक व्यक्ति, या उसकी ओर से कोई व्यक्ति, सम्मिलित है, तलाशी के दौरान वहां उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और उप-नियम (7) के अधीन तैयार की गई सूची की प्रति ऐसे अधिभोगी या व्यक्ति को दी जाएगी । उसकी एक प्रति आयुक्त को अग्रेषित की जाएगी और, जहां प्राधिकार आयुक्त से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, एक प्रति उस अधिकारी को भी अग्रेषित की जाएगी ।

(9) जहां किसी व्यक्ति की तलाशी धारा 132 की उप-धारा (1) के खण्ड (iiक) के अधीन ली जाती है, वहां कब्जे में ली गई सभी वस्तुओं की सूची तैयार की जाएगी और उसकी प्रति ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी । उसकी एक प्रति आयुक्त को अग्रेषित की जाएगी और, जहां प्राधिकार आयुक्त से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, एक प्रति उस अधिकारी को भी अग्रेषित की जाएगी ।" ;

(च) उप-नियम (10) में,—

(i) "उस भवन या स्थान के, जिसकी तलाशी ली गई है, अधिभोगी को," शब्दों के स्थान पर, "तलाशी लिए गए भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान के अधिभोगी को, जिसमें ऐसे जलयान, यान या वायुयान का भारसाधक व्यक्ति भी सम्मिलित है", शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "और जहां उप-नियम (2) के अधीन प्राधिकार निरीक्षण निदेशक द्वारा जारी किया गया है, वहां एक प्रति निरीक्षण निदेशक को भी अग्रेषित की जाएगी," शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "और जहां प्राधिकार आयुक्त से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, उस अधिकारी को भी अग्रेषित की जाएगी", शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) उप-नियम (14) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(14) ऐसे आय-कर अधिकारी को, जिसको धारा 132 की उप-धारा (9क) के अधीन लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें या आस्तियां सौंपी गई हैं, उप-नियम (11) और (13) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को प्रदत्त सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।" ।

3. मूल नियम के नियम 112क में, उप-नियम (1) में, "अभिग्रहण के पन्द्रह दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर "अभिग्रहण के पन्द्रह दिन के भीतर, और ऐसी दशा में जहां आस्तियां धारा 132

की उपधारा (9क) के अधीन उसे सौंप दी जाती है, उस तारीख से, जिस तारीख को ऐसी आस्तियां उसे सौंप दी जाती हैं, पन्द्रह दिन के भीतर" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

4. मूल नियम के नियम 112ग में, "धारा 132क" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "धारा 132ख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

5. मूल नियम के नियम 112 ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"112घ लेखा-पुस्तकों आदि की अध्यपेक्षा—

(1) निरीक्षण निदेशक या आयुक्त द्वारा धारा 132क की उपधारा (1) के अधीन किया जाने वाला प्राधिकरण प्ररूप सं० 45ग में होगा; प्राधिकरण जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में होगा तथा उस पर उसकी मुद्रा लगाई जाएगी ।

(2) धारा 132क की उपधारा (1) के अधीन अध्यपेक्षा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् अध्यपेक्षा करने वाला अधिकारी कहा गया है) उक्त उपधारा के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिदान अधिकारी या प्राधिकारी कहा गया है) उससे यह अपेक्षा करते हुए कि वह अध्यपेक्षा करने वाले अधिकारी को अध्यपेक्षा में, विनिर्दिष्ट लेखा-पुस्तकें, अन्य दस्तावेजें या आस्तियां सौंप दे, लिखित रूप में अध्यपेक्षा करेगा । अध्यपेक्षा प्ररूप सं० 45ग में प्राधिकरण की एक प्रति के साथ की जाएगी । प्ररूप सं० 45ग में प्राधिकरण की एक प्रति के साथ अध्यपेक्षा की एक प्रति धारा 132क की उपधारा (1) के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति को भेजी जाएंगी ।

(3) परिदान अधिकारी या प्राधिकारी अध्यपेक्षा करने वाले अधिकारी को सौंपी गई लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों की एक सूची तैयार करेगा । कोई सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज़ सौंपने से पूर्व परिदान अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे सोना-चांदी, आभूषण, वस्तु या चीज़ को पैकेज या पैकेजों में रखेगा या रखवाएगा, और उनमें रखे गए ऐसे सोना-चांदी, आभूषण, वस्तु या चीज़ ब्यौरे सहित सूचीबद्ध की जाएगी । ऐसे प्रत्येक पैकेज पर अध्यपेक्षा करने वाले अधिकारी की ओर से आय-कर अधिकारी की रेंक से अन्यून रेंक के किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी और साथ ही परिदान अधिकारी या प्राधिकारी का पहचान चिह्न और मुद्रा होगी । धारा 132क की उपधारा (1) के यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को भी उक्त पैकेज या पैकेजों पर अपनी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा होगी । तैयार की गई सूची की एक प्रति ऐसे व्यक्ति को दे दी जाएगी और उसकी एक प्रति परिदान अधिकारी द्वारा आयुक्त को तथा निरीक्षण निदेशक को भी भेजी जाएगी यदि प्राधिकरण उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा जारी किया गया हो ।

(4) नियम 112 के उपनियम (11) से (14) तक (जिनमें ये दोनों भी सम्मिलित है) और नियम 112क, नियम 112ख और नियम 112ग, के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस प्रकार लागू होंगे मानों धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने

वाले अधिकारी को सौंपी गई लेखा-पुस्तकें, अन्य दस्तावेजों और आस्तियां उक्त धारा की उपधारा (1) के यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति की अभिरक्षा से अध्यपेक्षा करने वाले अधिकारी द्वारा धारा 132 की उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत की गई थीं और मानो पूर्वोक्त उपनियमों और नियमों में से किसी में प्रयुक्त "प्राधिकृत अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "अध्यपेक्षा करने वाला अधिकारी" शब्द रख गए थे ।" ।

6. मूल नियमों के परिशिष्ट II में,—

(क) प्ररूप सं० 35 में,—

(i) "जी० आई० आर० सं०" मद के स्थान पर, "स्थायी खाता सं०" मद रखी जाएगी;

(ii) "किसी अन्य मामले में, उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संसूचना की तामील की तारीख" मद के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"

जहां अपील का सम्बन्ध धारा 144 के अधीन निर्धारण से है और धारा 146 के अधीन आवेदन किया गया है, —

(क) आवेदन की तारीख

(ख) जहां आवेदन पर कोई आदेश पारित कर दिया गया हो, वहां अपीलार्थी पर ऐसे आदेश के तामिल किए जाने की तारीख

"

(iii) "आय-कर अधिनियम, 1961 की वह धारा और खण्ड जिसके अधीन अपील की गई है", मद के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"जहां अपीलार्थी द्वारा, उस निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके सम्बन्ध में अपील की गई है, विवरणी दाखिल की गई, विवरणित आय पर शोध्य कर पूर्ण रूप से संदत्त कर दिया गया है या नहीं । (यदि उत्तर हां में है तो संदाय की तारीख और संदत्त रकम का ब्यौरा दीजिए) ।

जहां अपीलार्थी द्वारा उस निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके सम्बन्ध में, अपील की गई है, विवरणी दाखिल नहीं की गई है, ऐसे निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा देय अग्रिम कर की रकम के बराबर रकम संदत्त कर दी गई है या नहीं (यदि उत्तर हां में है तो संदाय की तारीख और संदत्त रकम का ब्यौरा दीजिए) ।

(ख) प्ररूप संख्या 45 में,—

(i) "जो प्रकट नहीं की गई है" शब्दों के पश्चात् "या प्रकट नहीं की जाएंगी" शब्द जोड़े जाएंगे ;

(ii) "(भवन या स्थान की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट कीजिए)", शब्दो के स्थान पर, "(भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट कीजिए)" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) "उक्त परिसर में प्रवेश करें और उसकी तलाशी लें," शब्दों के स्थान पर, "उक्त भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान में प्रवेश करें और उसकी तलाशी लें," शब्द रखे जाएंगे;

(iV) मद (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) और (छ) को क्रमशः मद (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित मद (ग) से पूर्व निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् ;

"(ख) ऐसे व्यक्ति की जो उस भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान से बाहर आया हो, या भीतर जाने वाला हो, या उसमें हो, तलाशी ले, यदि उसके पास यह संदेह करने का कारण हो कि उस व्यक्ति ने अपने पास कोई ऐसी लेखा-पुस्तकें, अन्य दस्तावेज, धन, सोना-चांदी आभूषण या अन्य बहुमूल्य वस्तु या चीज छिपाई है;";

(v) प्ररूप के अन्त में, "निरीक्षण निदेशक", शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित

आय-कर आयुक्त

रखा जाएगा, अर्थात् :,

"निरीक्षण निदेशक

आय-कर आयुक्त

निरीक्षण उपनिदेशक

सहायक आय-कर आयुक्त (निरीक्षण)" ;

(ग) प्ररूप संख्या 45 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

प्ररूप संख्या 45क

[नियम 112 (2) (ख) देखिये]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्राधिकरण का वारण्ट

सेवा में,

निरीक्षण उपनिदेशक

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

निरीक्षण सहायक निदेशक

आय-कर अधिकारी

मुझे ऐसी सूचना दी गई है और उस पर विचार करने के पश्चात्, मेरे पास यह विश्वास करने का आधार है कि—

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) / आयकर अधिकारी द्वारा,———————————————(व्यक्ति का नाम) को, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 131

की उपधारा (1) के अधीन, समन, या भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन, सूचना दी गई थी कि वह तारीख ——————————को सुसंगत समन या सूचना में विनिर्दिष्ट लेखा-पुस्तकें या दस्तावेज पेश करे या करवाये और ऐसे समन या सूचना द्वारा यथाअपेक्षित लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेज, उसने पेश नहीं किए / करवाए हैं या पेश करने / करवाने में उसने चूक की है ।

सहायक आय-कर आयुक्त (निरीक्षण) / आय-कर अधिकारी——————————— ——————————— (व्यक्ति का नाम) को भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन, या आय कर अधिनियम, 1961 की धारा (3) की उपधारा (1) के अधीन, समन, या भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन, या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन, सूचना दी गई थी कि वह तारीख——————————को सुसंगत समन या सूचना में विनिर्दिष्ट लेखा-पुस्तकें या दस्तावेज पेश करे या करवाए और ऐसे समन या सूचना द्वारा यथाअपेक्षित, लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेज, वह पेश नहीं करेगा / करवाएगा ;

यदि भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन, या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 131 की उपधारा (1) के अधीन, कोई समन, या भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 22 की उपधारा 4 के अधीन, या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन, कोई सूचना ——————————— (व्यक्ति का नाम) को दी जाती है कि वह ऐसी लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेज जो कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के अधीन, या आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो, पेश करे या पेश करवाए और वह, ऐसे समन या सूचना द्वारा यथाअपेक्षित ऐसी लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेज पेश नहीं करेगा;

सर्वश्री / श्री / श्रीमती ——————————— के कब्जे में कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं या चीजें हैं और ऐसा धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं या चीजें, या तो सम्पूर्णतः या भागतः वैसी आय या सम्पत्ति है जो भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 या आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनार्थ प्रकट नहीं की गई है या प्रकट नहीं की जाएगी ।

और मेरे पास यह संदेह करने का आधार है कि ऐसा लेखा-पुस्तकें, अन्य दस्तावेजें, धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं या चीजें——————————— (भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान के ब्यौरे दीजिए) में, जो कि मेरी अधिकारिता के क्षेत्र में आता है, रखी हैं और मिलेंगी ;

और मेरे पास यह विश्वास करने का आधार है कि सर्वश्री / श्री / श्रीमती———— ——————— पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त से, धारा 132 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकार प्राप्त करने में कोई भी विलम्ब, राजस्व के हितों के प्रतिकूल होगा ;

अतः, श्री ———————————— [उपनिदेशक, निरीक्षक या सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) या आय-कर अधिकारी का नाम], आपको प्राधिकार दिया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप—

(क) उक्त भवन, स्थान, जलयान, या वायुयान में प्रवेश करें और तलाशी लें;

(ख) ऐसे व्यक्ति को, जो उस भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान से बाहर आया हो, या भीतर जाने वाला हो, या भीतर हो, तलाशी ले यदि आपके पास यह संदेह करने का आधार हो कि उस व्यक्ति ने अपने पास कोई लेखा-पुस्तकें, अन्य दस्तावेजें, धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं या चीजें छिपाई हैं ;"

(ग) ऐसी लेखा-पुस्तकें और दस्तावेजों पर, जो तलाशी के दौरान पाए जाएं और जिन्हें आप भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 या आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत समझते हों पहिचान चिन्ह लगा दें, और पहिचान चिन्हों की विशिष्टियों के साथ उसकी एक सूची तैयार कर दें ।

(घ) ऐसी लेखा-पुस्तकों और दस्तावेजों की परीक्षा करें और ऐसी लेखा-पुस्तकों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां तैयार करें या उनसे उद्धरण लें ;

(ङ) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप प्राप्त किसी लेखा पुस्तक, दस्तावेज, धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का अभिग्रहण करें और उसको कब्जे में लें ;

(च) ऐसे धन, सोनाचांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का एक टिप्पण तैयार करें और उनकी एक तालिका बनाएं ;

(छ) ऐसी लेखा-पुस्तकों, दस्तावेजों, धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं या चीजों को, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) या आयकर अधिनियम, 1961 के निष्पादन हेतु नियोजित, आयकर अधिकारी की पंक्ति से अनिम्न, किसी अन्य आयकर प्राधिकारी के पास ले जाएं ; और

(ज) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 और उससे सम्बद्ध नियमों के अधीन सभी शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निवहन करें ;

आप आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी प्रयोजनों या किसी प्रयोजन के लिए अपनी सहायता हेतु, किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी की, या दोनों की, सेवाओं की अपेक्षा कर सकते हैं ।

(मुद्रा) आय-कर आयुक्त

प्ररूप सं० 45 ख

[नियम 112 (2) (ग) देखिये]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 की उप-धारा (1क) के अधीन प्राधिकार का वारण्ट

सेवा में,

निरीक्षण उपनिदेशक
सहायक आय-कर आयुक्त (निरीक्षण),
सहायक निरीक्षण निदेशक
आय-कर अधिकारी

मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है और उस पर विचार करने के पश्चात मेरे पास यह संदेह करने का आधार है कि लेखावहियां, अन्य दस्तावेजे, धन, सोना–चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज जिनकी बाबत.....
.....(प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदाभिधान) को निरीक्षण निदेशक / आय-कर आयुक्त / निरीक्षण उप निदेशक/सहायक आय-कर आयुक्त (निरीक्षण) द्वारा धारा 132 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) से (v) तक के अधीन.....
की कार्रवाई के लिए प्राधिकृत किया गया है,.....
(भवन/स्थान/जलयान/यान या वायुयान के ब्यौरे दीजिए) में हैं या हैं।

और ऊपर विनिर्दिष्ट भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान का उल्लेख निरीक्षण निदेशक। आय-कर आयुक्त निरीक्षण उप निदेशक सहायक आय-कर आयुक्त (निरीक्षण) द्वारा धारा 132 की उपधारा (1) के अधीन किए गए प्राधिकरण में नहीं किया गया है ।

अतः, श्री.....[निरीक्षण, उपनिदेशक या सहायक आय-कर आयुक्त (निरीक्षण) या आय-कर अधिकारी का नाम] आप को प्राधिकार दिया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप,——

(क) उक्त भवन / स्थान / जलयान / यान या वायुयान में प्रवेश करें और तलाशी लें ;

(ख) ऐसे व्यक्ति की, जो उस भवन / स्थान / जलयान / यान / वायुयान से बाहर आया हो, या भीतर आने वाला हो, या भीतर हो तलाशी लें यदि आपके पास यह संदेह करने का आधार हो कि उस व्यक्ति ने अपने पास कोई लेखा पुस्तकें, अन्य दस्तावेजें, धन, सोना-चांदी आभूषण या अन्य मूल्यवान, या चीजें छिपाई हैं ;"

(ग) ऐसी लेखा-पुस्तकों और दस्तावेजों पर, जो तलाशी के दौरान पाए जाएं और जिन्हें कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत समझते हों पहिचान चिह्न लगा दें और पहिचान चिह्नों की विशिष्टियों के साथ उसकी एक सूची तैयार कर दें ।

(घ) ऐसी लेखा-पुस्तकों और दस्तावेजों की परीक्षा करें और ऐसी लेखा-पुस्तकों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां तैयार करें या उनसे उद्धरण लें ;

(ङ) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप प्राप्त किसी लेखा पुस्तक, दस्तावेज, धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का अभिग्रहण करें और उसको कब्जे में लें ;

(च) ऐसे धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का एक टिप्पण तैयार करें और उनकी एक तालिका बनाएं ।

(छ) ऐसी लेखा-पुस्तकों, दस्तावेजों, धन, सोना-चांदी, आभूषण या अ य मूल्यवान वस्तुओं या चीजों को, सहायक आय-कर आयुक्त (निरीक्षण) या आय-कर अधिनियम, 1961 के निष्पादन हे तु नियोजित, आयकर अधिकारी की पंक्ति से, अनिम्न, किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी के कार्यालय ले जाएं ; और

(ज) आय- .र अधिनियम, 1961 की धारा 132 और उससे सम्बद्ध नियमों के अधीन सभी शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करें ;

आप आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी प्रयोजनों या किसी प्रयोजन के लिए अपनी सहायता हेतु, किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी की, या दोनों की, सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकते हैं ।

प्ररूप सं० 45ग

[नियम 112घ (1) देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132क की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकार का वारंट

सेवा में,

निरीक्षण उपनिदेशक,

सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)

सहायक निदेशक, निरीक्षण,

आय-कर अधिकारी

मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है और उस पर विचार करने के पश्चात् मेरे पास यह विश्वास करने के आधार हैं कि—

भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 131 की उपधारा (1) के अधीन समन, या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 142 क उपधारा (1) के अधीन, नोटिस श्री.....
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) आयकर अधिकारी द्वारा श्री.....को (व्यक्ति का नाम) जारी किया गया था जिसमें उससे सुसंगत समन या नोटिस में विनिर्दिष्ट लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें पेश करने या करवाने की अपेक्षा की गई थी और उससे ऐसे समन या नोटिस द्वारा अपेक्षित लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें पेश नहीं की या कराई हैं या पेश करने में चूक की है और उक्त लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें श्री.....
(अधिकारी या प्राधिकारी का नाम और पदाभिधान) द्वारा कब्जे में ले ली गई हैं,

कतिपय लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेज जो भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के अधीन, या आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी श्री.....
.....(अधिकारी या प्राधिकारी का नाम और पदाभिधान) द्वारा

अभिरक्षा में ले ली गई हैं और श्री/सर्वश्री/श्रीमती..... (व्यक्ति का नाम) को, जिसे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन, या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 131 की उपधारा (1) के अधीन, समन या भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस, सहायक आयुक्त आयकर (निरीक्षण)/आयकर अधिकारी द्वारा जारी किया गया है या जारी किया जाता, उक्त अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा वापस किए जाने पर ऐसी लेखा-पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को, पेश नहीं करेगा या करता या पेश नहीं कराएगा या कराता;

श्री.....(अधिकारी या प्राधिकारी का नाम और पदाभिधान) द्वारा अपनी अभिरक्षा में ली गई आस्तियां पूर्णतया या भागतः वैसी आय या सम्पत्ति है, जो भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 या आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के लिए श्री..... (व्यक्ति का नाम) द्वारा, जिनके कब्जे से ऐसी आस्तियां पूर्वोक्त अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा अपनी अभिरक्षा में ली गई थी, प्रकट नहीं की गई या प्रकट नहीं की जातीं;

इसके द्वारा श्री.....(निरीक्षण, उप-निदेशक या सहायक आय-कर आयुक्त (निरीक्षण) या सहायक निदेशक निरीक्षण या आय-कर अधिकारी का नाम) आपको उक्त अधिकारी या प्राधिकारी से यह अपेक्षा करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह यथापूर्वोक्त लेखा पुस्तकें, अन्य दस्तावेज या आस्तियां आप को परिदत्त करे ।

निरीक्षण निदेशक

(मुद्रा) आय-कर आयुक्त" ।

[सं० 1102/फा०सं० 142(44)/75—टी०पी०एल०]

ओ० पी० भारद्वाज,
सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975